



Ref.....MGGAU/2022-2023/692,

Date: 25/11/22

प्रपत्र-5

(देखें विनियम 6)

सम्बद्धता की सहमति

स्थानीय जाँच समिति के आख्या के आधार पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 13 (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर (सोसाइटी) शारदा नगर, कानपुर द्वारा प्रस्तावित महाराणा प्रताप कालेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड मेडिकल साइंसेज, कोठी मंथना, कानपुर नगर उ०प्र० को सत्र 2022-2023 में 100 स्नातक (बी०ए०एम०एस०) सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय को सम्बद्धता देना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।



25/11/22
(आर०बी० सिंह)
कुलसचिव

नोट-यह कन्सेन्ट ऑफ एफिलियेशन कार्य परिषद के निर्णय दिनांक-24.06.2022 के अनुसार निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिए मान्य है।

25/11/22
कुलसचिव
महायोगी गुरु गोरखनाथ
गोरखपुर विश्वविद्यालय